उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 12/12/2017

RBE No.148/2017
NCR PS No.5186/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Issue raised by NFIR in PNM/NFIR item No.57/2016 regarding payment of arrears out of leave salary consequent to the implementation of 6th CPC report for the period of 01.01.2006 to 31.08.2006 on Western Railway to the running staff.

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)II-2016/FE.2/5 dated 16.10.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

12.12.17
(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 148/2017

No. E(P&A)II-2016/FE.2/5

New Delhi, dated: 16.10.2017

The General Managers/CAOs,
All Zonal Railways & Production Units.

Sub : Issue raised by NFIR in PNM/NFIR item No. 57/2016 regarding Payment of arrears arising out of leave salary consequent to the implementation of 6th CPC report for the period 01.01.2006 to 31.08.2008 on West Central Railway to the running staff.

Ref.: WCR's letter No. WCR/P.HQ/Ruling/0/815/Allow.Runn. dated 21.12.2016 and 28.09.2016.

*****

In PNM Item No. 57/2016 of National Federation of Indian Railwaymen, GS/NFIR had raised the issue of non-payment of arrears of leave salary to running staff of West Central Railway, consequent to the implementation of 6th CPC for the period 01.01.2006 to **31.08.2008.**

2. The issue has been examined in Board's office and it is clarified that as per Rule 924(i) (k) of IREM-I and para 3.23 of Board's letter No. E(P&A)II-80/RS-10 dated 17.07.1981, 30% Pay element will be reckoned for calculation of Leave Salary of Running Staff for the period between 01.01.2006 to 31.08.2008 also consequent to implementation of the 6th CPC recommendations.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Railway Board.

Md. Salim Ahmed.

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director, Estt. (P&A)-II
Railway Board.

No. E(P&A)II-2016/FE.2/5

New Delhi, dated: 16.10.2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE-2017-2150
30-10-17

आरबीई सं. 148/2017

सं. ई(पी एंड ए)II-2016/एफई.2/5 नई दिल्ली, दिनांक: 16.10.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
NCR, Allahabad

विषय : छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को 01.01.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि की छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान करने के बारे में एनएफआईआर द्वारा पीएनएम/एनएफआईआर की मद सं. 57/2016 में उठाया गया मामला।

संदर्भ : डब्ल्यूसीआर का दिनांक 21.12.2016 और 28.09.2016 का पत्र सं. डब्ल्यूसीआर/पी.एचक्यू/रुलिंग/0/815/अलाऊ.रन.

******

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के पीएनएम की मद सं. 57/2016 में जीएस/एनएफआईआर ने 01.01.2006 से 31.08.2008 की अवधि के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया था।

2. इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरईएम-I के नियम 924(आई) (के) और बोर्ड के दिनांक 17.07.1981 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-80/आरएस-10 के पैरा 3.23 के अनुसार, 30% वेतन तत्व की गणना छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 01.01.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि के लिए भी रनिंग स्टाफ की छुट्टी के वेतन के हिसाब से की जाएगी।

3. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक, ई. (पी एंड ए)-II
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)II-2016/एफई.2/5 नई दिल्ली, दिनांक: 16.10.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्र० मुकाधि०
मुकाधि० (प्रशा०)
मुकाधि० (आई०आर०)
उप मुकाधि० (सत०)
उप मुकाधि० (मुख्या०)
उप मुकाधि० (आई०आर०)
अध्यक्ष/रे०म०प्र०
प्र० का० अधि० (राज)
प्र० का० अधि० (औ०सं०)
प्र०का० अधि० (मुख्या०)
सकाधि० (आई०आर०)
सकाधि० (भर्ती०)
मु० कार्या० अधी०/कार्या० अधी०

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
25 OCT 2017
महाप्रबन्धक सचिव

PCPO
Policy